

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-5

संख्या : 2611/9-आ-5-1997

लखनऊ : दिनांक 23 जून, 1997

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल, नवीन धारा 26-घ के प्रयोजनार्थ, यह निदेश देते हैं कि विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन भूमि पर अतिक्रमण रोकने और अतिक्रमण न होने देने के लिये म्मिलिखित अधिकारी उत्तरदायी होंगे :-

- (1) सम्बन्धित सहायक अभिन्यता का प्राथमिक उत्तरदायित्व।
 - (2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व यदि किसी अवर अभियन्ता की प्राथमिक उत्तरदायित्व न दिया गया हो, अन्यथा सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व।
 - (3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व यदि किसी सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को प्राथमिक उत्तरदायित्व न दिया गया हो, अन्यथा "सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व"।
 - (4) सम्बन्धित सुयुक्त सचिव का सम्मिलित सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व।
2. श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारियों द्वारा अवहेलना की दशा में उनके विरुद्ध धारा 26-घ के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अथवा उपरोक्त इंगित अधिकारी अपने अधीन किसी भी अधिकारी को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा भी उपरोक्त उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या: 2611(1)/9-आ-5-97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी और अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनुसचिव